संचिका स0–7/विविध–28–10/2024 – 219(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 22/06/2026

विषयः– होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर अंतर्गत कैंसर के मरीजों के प्रशामक चिकित्सा एवं देखभाल (Palliative Care) हेतु 100 शय्या के प्रशामक चिकित्सा एवं देखभाल केन्द्र के निर्माण के लिए टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई को एकमुश्त राशि रु० 1,12,00,00,000/–(एक अरब बारह करोड़) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में रु० 1,65,00,000/–(एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कैंसर रोग की चिकित्सा एव रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासो अतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार एव टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई के सहयोग से होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर की स्थापना करने का निर्णय मन्त्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–11 07 2018 के मद् सख्या–8 मे लिया गया है। इसके लिए पूर्व मे श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुजफ्फरपुर परिसर मे ही 15 एकड़ की भूमि नि:शुल्क सस्थान को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस क्रम मे मन्त्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–22 11 2023 में मद सख्या–19 के रूप मे अस्पताल भवन के निर्माण हेतु रू० 100 00 करोड (रूपये एक सौ करोड) मात्र अनुदान के रूप मे दिये जाने की पूर्व मे स्वीकृति भी दी जा चुकी है, जिसपर अस्पताल भवन निर्माणाधीन है।

2– उक्त सस्थान मे चिकित्सा के दौरान यह परिलक्षित हुआ है कि लगभग 50 से 55 प्रतिशत कैसर मरीजो को चिकित्सा/सर्जरी के पश्चात् प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल (Palliative Care) की आवश्यकता है। वर्तमान मे सस्थान मे केवल प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल हेतु मात्र ओ0पी0डी0 की सुविधा उपलब्ध है। कैसर मरीजो का अत वासी सुविधा अंतर्गत समुचित प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल के लिए प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल (Palliative Care) केन्द्र की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3– वर्णित समस्याओ के निदान हेतु होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर के पत्र सख्या–02/515/2024, दिनाक–22 10 2024 द्वारा रु0 112 00 करोड (रूपये एक सौ बारह करोड) मात्र की राशि विमुक्ति करने की माग की गयी है, जिसके आलोक मे विभागीय राज्यादेश सख्या–224(7), दिनाक–21 10 2024 द्वारा रु0 112 00 करोड मात्र के अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4– इस योजना हेतु अब तक राज्य योजना मद से आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है।

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश स0 एव दिनाक
1	2024–25	5,00,00,000	स0–307(7), दिनाक–23 12 2024
2	2025–26	20,00,00,000	स0–33(7), दिनाक–15 05 2025
	कुल–	**25,00,00,000**	

5– उक्त परिप्रेक्ष्य में होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर अतर्गत कैसर के मरीजों के प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल (Palliative Care) हेतु 100 शय्या के प्रशामक चिकित्सा एव देखभाल केन्द्र के निर्माण के लिए टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई को एकमुश्त राशि रु० 1,12,00,00,000/– (एक अरब बारह करोड) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में रु० 1,65,00,000/–(एक करोड पैसठ लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्यशीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के उपमुख्य शीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष– 0122–होमी भाभा कैसर अस्पताल एव अनुसधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड– 20–2210051050122 के अंतर्गत विषय शीर्ष–0122–31–05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियो के निर्माण मद मे उपबधित राशि से किया जायेगा।

7– इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह– निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होगे। चूँकि, इस उपबधित राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई को उनके बैंक खाते मे एकमुश्त उपलब्ध कराया जाना है। अतएव निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक मे राशि की निकासी कर खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति के पी०एल० खाता सख्या– PBBPLA01i एव विपत्र कोड--00-8448001200027-0001 तथा Ledger ID मे जमा करायेंगे।

8– राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र स0–8599, दिनाक–01 10 2015 के आलोक मे धन ऋण ज्ञापन उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

9– यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/ वि0(2), दिनाक–06 05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– प्रस्ताव एव प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11– स्वीकृत्यादेश प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7/विविध– 28–10/ 2024 के पृष्ठ–143/टि0 मे प्राप्त है।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

13– सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शम्भू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7 / विविध–28–10 / 2024– 819(7A)/ स्वा0, पटना, दिनांक– 22 / 06 / 2026

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / अधीक्षक एवं प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / प्रभारी पदाधिकारी, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई–मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।